



e-Stamp

14318
24

गोकुलेश कटारा
एडवोकेट
सिविल कोर्ट छाता (मथुरा)



Certificate No. : IN-UP52229887583637W
 Certificate Issued Date : 16-May-2024 09:16 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410400400840897534934W
 Purchased by : RADHAMADHAV VENTURES BY PARTNER RAJKUMAR AND OTHER
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : MAUJA HATHIYA TEHSIL GOVERDHAN DISTT MATHURA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : JAIKAM
 Second Party : RADHAMADHAV VENTURES BY PARTNER RAJKUMAR AND OTHER
 Stamp Duty Paid By : RADHAMADHAV VENTURES BY PARTNER RAJKUMAR AND OTHER
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,49,500
 (Two Lakh Forty Nine Thousand Five Hundred only)

3



गोकुलेश कटारा
एडवोकेट
सिविल कोर्ट छाता (मथुरा)

Please write or type below this line

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



QE 0003704614

VOID VOID VOID

SHCIL



0003704614





गोकुलेश कटारा
एडवोकेट
सिविल कोर्ट छाता (मथुरा)



गोकुलेश कटारा
एडवोकेट
क्षेत्रीय कोर्ट छाता (मथुरा)



गोकुलेश कटारा
एडवोकेट
सिविल कोर्ट छाता (मथुरा)

- 1-लेखपत्र का प्रकार -
- 2- भूमि का प्रकार -
- 3- प्रतिफल -
- 4- मालियत -
- 5- सरकारी दर -
- 6- अदा स्टाम्प -
- 7- मौजा-
- 8- 2. प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प -
- 9- सेगमेंट-
- 10- मापन की इकाई -
- 11-सम्पत्ति का विवरण-
- 12- सडक की स्थिति-
- 13- निर्माण -
- 14- अविस्थिति-

बैनामा
(कृषि भूमि)
49,90,000रू0
32,48,000रू0
पृष्ठ सं0 14 कंमाक 21 वी कोड
1417 के अनुसार दर 44,00,000
रू0 प्रति है0
2,49,500 रूपये।
हाथिया तह0 गोवर्धन जिला मथुरा।
देय नहीं है।
बरसाना गोवर्धन लिंक मार्ग पर
है0
खाता सं0 00741 खसरा सं0 584
कुल रकवा है0 2.2130है में से
अपना 1/3 भाग 0.7380है0 यानि
अपना सम्पूर्ण अंश विक्रय किया है।
राजस्व अभिलेखों के अनुसार।
बरसाना गोवर्धन लिंक मार्ग पर
कोई नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्र है, टाउनएरिया, बाहर
है, 200, मी0 त्रिज्यान्तर्गत कोई
आवासीय या वाणिज्यक गतिविधियाँ
विद्यमान नहीं है।


जैक



Signature of the second person.



Signature of the third person.





-3-

- 15- स्टाम्प में छूट का प्रकार- फर्म/पुरुष है।
16- विक्रीत भूमि में नलकूप नहीं है।
17- बोरिंग व पेड की स्थिति- कोई नहीं है।
18- विक्रेता क्रेता का वर्ग - विक्रेता /क्रेता अनुसूचित जाति या
जनजाति के नहीं है।
19- विक्रेता व क्रेता भारतीय नागरिक है। हॉ है।
20- चौहददी व पैमाईश निम्न प्रकार है।—
पूरब- चक क्रेता- राधा माधव वेंचर्स
पश्चिम- चक शालिनी गुप्ता आदि
उत्तर- चक शालिनी गुप्ता आदि
दक्षिण- सरकारी चकरोड

प्रथम पक्ष- विक्रेता- जैकम पुत्र श्री सुघडू निवासी- नगला किशनपुरा हाथिया
तह0 गोवर्धन जिला मथुरा आ0 कार्ड सं0 XXXX XXXX 7149 पैन कार्ड सं0
BWSPJ7090J मो0 नं0

द्वितीय पक्ष- क्रेता- राधा माधव वेंचर्स स्थित 10 अग्रसेन नगर कंकाली मथुरा
उ0प्र0 281004 (पैन कार्ड सं0 ABIFR8737Q) के द्वारा अधिकृत पार्टनर
राजकुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी- मानपुर तह0 गोवर्धन जिला मथुरा आ0
कार्ड सं0 XXXX XXXX 4278 मो0न0 9627330660 व संजय जिन्दल पुत्र श्री
हरगोविन्द जिन्दल निवासी- 109, सेक्टर-5, राधापुरम एस्टेट, मथुरा आ0 कार्ड
सं0 XXXX XXXX 5068 मो0न0 9837054202

जैकम



राधा माधव वेंचर्स



Sanjay



आवेदन सं०: 202400761019178

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 14318

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 4990000 स्टाम्प शुल्क- 249500 बाजारी मूल्य - 3248000 पंजीकरण शुल्क - 49900 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 49960

श्री जैकम,
पुत्र श्री सुघड़
व्यवसाय : अन्य

निवासी: नगला किशनपुरा हाथिया तह० गोवर्धन मथुरा

जैकम



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/05/2024 एवं 10:30:50 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण प्रकाश .

उप निबंधक : छाता

मथुरा

17/05/2024

मो० उमद नासिर .

निबंधक लिपिक

17/05/2024

प्रिंट करें

यह कि प्रथम पक्ष की एक किता आराजी जो कि वाकै मौजा -हाथिया तहसील गोवर्धन जिला मथुरा में स्थित है। जो बरसाना गोवर्धन लिंक मार्ग पर है। जिसका प्रथम पक्ष मालिक व स्वामी है तथा मौके पर काबिज व दखील चला आता है। प्रथम पक्ष की उपरोक्त आराजी किसी बैंक व संस्था तथा इकरारनामा व जमानत आदि में बन्धक नहीं है यानि कि हर प्रकार से पाक व साफ है कि जिसे हस्तान्तरण करने के समस्त वैधानिक हक व हकूकात प्रथम पक्ष को प्राप्त है। प्रथम पक्ष को व जरूरत करने कारोबार व अन्य दीगर कार्यों की पूर्ति हेतू रूपयों की जरूरत है। अतः आज राजी खुशी प्रथम पक्ष ने अपनी उपरोक्त आराजी को मय समस्त कानूनी हक व हकूकातों सहित विल एवज वाकई मुवलिग-49,90,000 रू0 शब्देन उन्चायस लाख नब्बै हजार रू0 में द्वितीय पक्ष के हक में विक्रय कर दिया है। और अपना समस्त विक्रय धन इस प्रकार प्राप्त किया कि मु0 49,90,000रू0 वजरिये आर टी जी एस यू टी आर सं0 एस बी आई एन आर 52024051522694074 दिनोंक- 15.05.2024 भारतीय स्टेट बैंक के रूप में रूवरू गवाहान के प्राप्त करके एवज उसके एवज कब्जा व दखल विक्रय आराजी पर क्रेता का अपने समान मालिकाना करा दिया और कब्जा अपना हर प्रकार का छोड दिया है। अब द्वितीय पक्ष विक्रय आराजी का दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष व उसके वारिसानों को कोई उज्र व आपत्ति नहीं होगी। काश भविष्य में प्रथम पक्ष का कोई सहीमी व सरीकी पैदा होकर बाबत इस लेखपत्र हाजा के हक लाकर अदालत व पंचों में दावा व उजर करै तो उसका हर प्रकार का दावा व उज्र वमुकाबिले प्रलेख हाजा के आमन्य माना जावेगा।

3)
जक H

Signature

Sanjay



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 14318

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री जैकम, पुत्र श्री सुघड़

निवासी: नगला किशनपुरा हाथिया तह० गोवर्धन मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री राधा माधव वैनचर्स के द्वारा राजकुमार, पुत्र श्री लक्ष्मन सिंह

निवासी: मानपुर तह० गोवर्धन जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 2



श्री राधा माधव वैनचर्स के द्वारा संजय जिन्दल के द्वारा संजय शर्मा, पुत्र श्री राजकुमार

निवासी: संतदास का टीला जनरलगंज मथुरा उ०प्र०

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हुकमी, पुत्र श्री बदली

निवासी: कमई तह० गोवर्धन मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री मनमोहन, पुत्र श्री मोती लाल

निवासी: छाता तह० छाता जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण प्रकाश .

उप निबंधक : छाता

मथुरा

17/05/2024

यह लेखपत्र हाजा ही मान्य व स्वीकार होगा। तथा विक्रय आराजी में कोई नल बोर पेड आदि नहीं है तथा विक्रय आराजी के 50 मी० की त्रिज्या के अंतर्गत कोई भी व्यवसायिक व वाणिज्यिक व आद्योगिक गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है। अतः आज व राजी खुशी बिना किसी भय व दवाब के पूर्ण होशो हवाश में ड्राफ्ट व टाइप कराकर पढकर पढावाकर सुनकर व समझकर उपनिबन्धक कार्यालय छाता में पंजीकृत करा दिया ताकि सनद रहे। और समय पर काम आवै। मुकिरान के फोटो की पहचान उपलब्ध पहचान पत्र एवं गवाहों के कथनानुसार गोकुलेश कटारा एडवोकेट सिविल कोर्ट कम्पा० तहसील छाता जनपद मथुरा ने की है। तस्दीकी मुख्तारनामा आम दिनांक 08.05.2024 जिसका निबंधन कार्यालय उ०नि० मथुरा पर बही सं. 6 जिल्द सं. 11 के सफा 203-212 क्रमांक 24 पर हुआ है, के द्वारा मुझ संजय शर्मा पुत्र श्री राजकुमार निवासी संतदास का टीला, जनरलगंज, मथुरा तहसील व जिला मथुरा को विक्रेता फर्म के साझीदार संजय जिन्दल पुत्र श्री हरगोविन्द जिन्दल निवासी- 109, सेक्टर-5, राधापुरम एस्टेट, मथुरा के द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने, बैनामा पंजीकृत कराने आदि के पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

21
5/4/24

राजकुमार

Sanjay





गवाह 1-हुकमी पुत्र बदली निवासी- कमई तह0 गोवर्धन जिला मथुरा आ0 कार्ड सं0 XXXX XXXX 7088 मो0नं0 9917214317


हुकमी



गोकुलेश कटारा
एडवोकेट

गवाह 2-मनमोहन पुत्र श्री मोती लाल निवासी-छाता तह0 छाता जिला मथुरा (मथुरा) आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 7836 मो0 नं0 8273882836

Man Mohan



गोकुलेश कटारा
एडवोकेट
सिविल कोर्ट छाता (मथुरा)

तहरीर दिनांक-16.05.2024

ड्राफ्टकर्ता:-गोकुलेश कटारा एडवोकेट

गोकुलेश कटारा
एडवोकेट

टाइपकर्ता:-चन्द्रभान शर्मा

सिविल कोर्ट छाता (मथुरा)

हुकमी

चन्द्रभान शर्मा

Saujanya



प्रिंट करें

आवेदन सं०: 202400761019178

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10878 के पृष्ठ 397 से 410 तक क्रमांक
14318 पर दिनांक 17/05/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण प्रकाश .

उप निबंधक : छाता

मथुरा

17/05/2024

प्रिंट करें

हाथिया लह - गोवर्धन मथुल (कृषि भूमि)

जैकाम पुत्र सुधनू

विक्रेता प्रथम पक्ष

पि मंगला किशोरपुत्र हाथिया लह गोवर्धन मथुल


राधा माधव केन्चर स्थित 10 अग्रसेन नगर केमाली
 केता द्वितीय पक्ष मथुल के द्वारा अधिकृत पार्टनर राजकुमार
 पुत्र लक्ष्मण सिंह पि. मानपुर लह गोवर्धन मथुल
 व संजय जिदल पुत्र हरगोविन्द जिदल पि. 109 मैस्ट
 5 राधापुरम एस्टेट मथुल

रवाला स 751

रवाला स 584

कुल रकम 2.2130 हे

विक्रय रकम
 सै से 113 भाग
 अपन सम्पूर्ण
 भाग 0.7380 हे



कोमलेश्वर
 विशा नदीय
 17/8/24
 सबरजिमी कार्यालय
 छाता (मथुल)

विक्रेता प्रथम पक्ष



विक्रय सम्पत्ति
 में कोई व्यवसायिक प्रतिबन्ध नहीं है।
 24 दिनांक

केता द्वितीय पक्ष

दस्तावेज

